



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

कमांक एफ 37()परावि/प्रशा.2/मंत्रा/स्थाना.-विधि/2017/3248 जयपुर दिनांक: 18.7.18

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, पाली।

विषय :- कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी करने बाबत

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपके जिले की अधीनस्थ पंचायत समिति में कार्यरत निम्न कनिष्ठ सहायक का संस्थापन संबंधी सूचनाओं से गिलान करते हुये स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी कर, पालना से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

क्र. सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहां से	कहां को
1	श्री पप्पु पन्नू	कनिष्ठ सहायक	पंचायत समिति बाली (पाली)	पंचायत समिति रायपुर (पाली)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

नोट:-

1. यदि कार्मिक माननीय न्यायालय/वादकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है तो, ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे।
2. यदि कार्मिक की परिवीक्षाधीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो, ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे।
3. यदि किसी कार्मिक के स्थान पर स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जा रहा है तो प्रभावित कार्मिक का भी पदस्थापन इसी आदेश में अन्य रिक्त पद पर किया जाना सुनिश्चित करावे।

(राजेन्द्र शंखर मक्कड)
अतिरिक्त आयुक्त
एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा0वि0पं0राज विभाग।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-जल विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित है।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति बाली/रायपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्री पप्पु पन्नू को पदस्थापित पंचायत समिति में अग्रिम पदस्थापन प्राप्त होने पर ही कार्यमुक्त किया जावे।
6. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त
एवं संयुक्त शासन सचिव